

सं० एफ० 12/21/74-का० कक्षा

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग  
(कार्यान्वयन कक्षा)

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1978

कार्यालय ज्ञापन

विषय: - श्रेणी-1 की कुछ संयुक्त सेवाओं में, कनिष्ठ श्रेणी-1 के संशोधित वेतनमान से वरिष्ठ श्रेणी-1 के वेतनमान में, 1-1-73 के पश्चात् पदोन्नति होने पर वेतन का नियतन - अनुक्रमिका सारणी आदि को लागू करने के संबंध में तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय ।

- - - -

मुझे, उपर्युक्त विषय पर, इस मंत्रालय के दिनांक 14 नवम्बर, 1975 के सम-संख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा-3 का संदर्भ देने का निवेदन हुआ है जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए आदेश 1-1-73 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगे । इस मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय किया गया है कि इन आदेशों को और आगे 1 वर्ष के लिए अर्थात् 31 दिसम्बर, 1978 के अन्त तक अथवा इस संबंध में और आगे आदेश जारी किए जाएं, तब तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हों, बढ़ा दिया जाए ।

2. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभागों में काम करने वाले व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् जारी किए गए हैं ।

स० स० परहार

( एस० एस० परहार )

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

अग्निजी पाठ में दी गई सूची के अनुसार प्रतिलिपि प्रेषित ।

- - - -